UPBJ010077742023

**न्यायालय–विशेष न्यायाधीश, (ई0सी0 एक्ट), बिजनौर।**

**पीठासीन अधिकारी–(राम लाल–द्वितीय), (उच्चतर न्यायिक सेवा)–UP06467**

**विशेष सत्र परीक्षण संख्या–1471/2023**

**सरकार बनाम लियाकत अली**

मुकदमा अपराध संख्या–1493/2020

धारा–135 विद्युत अधिनियम।

थाना–एंटी पॉवर थेफ्ट, जनपद, बिजनौर।

**दिनांकः–08–03–2025**

**आदेश**

आज लोक अदालत में पत्रावली पेश हुयी, पुकार कराई गयी।

अभियुक्त लियाकत अली की ओर से धारा–152 विद्युत अधिनियम, 2003 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र ख–9 प्रस्तुत करते हुये संक्षेप में कहा गया कि प्रार्थी ने उक्त मुकदमे से संबंधित शमन शुल्क व राजस्व निर्धारण व विद्युत बिल जमा कर दिया है, प्रार्थी पर कोई बकाया नहीं है। प्रार्थी के विरूद्ध आपराधिक कार्यवाही समाप्त की जाए।

पत्रावली पर विभाग से संबंधित पैरोकार की ओर से प्रस्तुत विभागीय आख्या ख–10 में भी यह कहा गया है कि उपरोक्त वाद से संबंधित समस्त राजस्व निर्धारण व शमन शुल्क/बकाया बिल जमा कर, पक्षकारों के मध्य समझौता हो गया है, जिस कारण वाद उपरोक्त के धारा–152 ई0सी0 एक्ट के अन्तर्गत निस्तारित होने में हमें कोई आपत्ति नहीं है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

अभियुक्त की ओर समन शुल्क राजस्व निर्धारण जमा किया जाना बताया गया है। संबंधित विभाग द्वारा भी जमा होना बताया गया है।

समन के आधार पर अभियुक्त लियाकत अली के विरूद्ध कार्यवाही धारा–152 विद्युत अधिनियम के अनुसार दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा–300 के अन्तर्गत दोषमुक्त के समतुल्य समझा जायेगा।

अतः अभियुक्त के विरूद्ध वाद उपरोक्त की कार्यवाही धारा–152 विद्युत अधिनियम, 2003 के अन्तर्गत समाप्त की जाती है। अभियुक्त लियाकत अली को दोषमुक्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

**(राम लाल–द्वितीय)**
**विशेष न्यायाधीश,(ई0सी0 एक्ट),**
**बिजनौर।**

Digitally signed by RAM LAL
Date: 2025.03.10 11:24:18 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court